P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में मुस्लिम महिलाएं एवं महिला सशक्तिकरण– तीन तलाक एक्ट के विशेष संदर्भ में संक्षिप्त अध्ययन

ज्योति मेहरा
शोध छात्रा,
राजनीतिक विज्ञान विभाग.
रा. ऋ.म.मत्स्य विश्वविद्यालय,
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारा अतीत भी इस बात का साक्षी है। किंतु समय परिवर्तन के साथ स्थिति में बदलाव आया है और स्त्रियों को अनेक विषमताओं का शिकार होना पड़ा। भारत देश में जहां कई संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं। जिनमें हिंदू मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि है।भारत में कुछ विशेष वर्गो को विशेष रूप से आरक्षित किया गया है जो भाषा एवं जनसंख्या के आधार पर है। भारत के संविधान में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है तथा उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारत में अगर मुस्लिम महिलाओं की वास्तविक स्थितियों का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होगा कि भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अन्य वर्गो की महिलाओं से बहुत अधिक दयनीय है। जिसका कारण उनके संप्रदाय में पनपी हुई प्राचीन प्रथाएं हैं तथा मुस्लिम पुरुषों का स्त्रियों के प्रति निम्न दृष्टिकोण है। भारतीय मुस्लिम समाज में तीन तलाक,हलाला,बहुविवाह, बाल विवाह आदि कुप्रथाएं है जिसके कारण मुस्लिम महिलाओं के साथ प्रथाओं के नाम पर अत्याचार सदियों से होता आ रहा है। परंतु भारत में सभी धर्मों के उत्थान हेतु तथा महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देते हुए सभी वर्गों की महिलाओं हेतु भारत के संविधान में सभी वर्ग की महिलाओं की सुरक्षा व उनकी शिक्षा हेतु विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है तथा मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु तीन तलाक जैसी कुप्रथा को कानूनी रूप से अपराध माना गया है तथा तीन तलाक एक्ट पारित किया गया है। जो मुस्लिम महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण में एक अभूतपूर्व कार्य है जो उन्हें अमानवीय अत्याचारों से मुक्त करने की दिशा में सशक्त कदम है। महिला सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं परंतु संवैधानिक रूप से महिला सशक्तिकरण कभी नहीं होगा जब तक कि महिलाएं स्वयं अपने हितों के लिए लड़े नहीं क्योंकि महिलाएं कानूनी सशक्त नहीं हो सकती जब तक वे स्वयं के अंतर्मन से सशक्त ना हो। इसलिए महिला सशक्तिकरण एक अभियान है जिसे सफल बनाने का कर्त्तव्य महिलाएं कर सकती है। अपने आप को सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक रूप से सशक्त बनाकर। महिला सशक्तिकरण को अगर सरल शब्दों में वर्णित किया जाए तो इससे महिलाओं को उनकी क्षमताओं से परिचित करवाया जाता है।

मुख्य शब्द : तीन तलाक, हलाला, खुला, शरिया कानून, लैंगिक समानता।

प्रस्तावना

भारतीय परंपरा और चिंतन में स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता' अर्थात् जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। हमारा अतीत भी इस बात का साक्षी है। किंतु समय परिवर्तन के साथ स्थितियों में बदलाव आया और स्त्रियों को अनेक विषमताओं को शिकार होना पड़ा। सशक्त समाज की रचना एवं देश को समृद्ध शाली बनाने हेतु महिलाओं का पूरी तरह सक्षम होना सबसे जरूरी है। हमारा देश आज भी पुरुष प्रधान हैं। समाज में समानता से ही राष्ट्र का वास्तविक विकास संभव है। देश की आजादी के बाद भी राजकीय और अराजकीय स्तरों पर स्त्रियों को समाज और जीवन में उनका उचित स्थान दिलवाने के अगणित प्रयास हुए और इन प्रयासों में एक सशक्त प्रयास समसामयिक तीन तलाक एक्ट है। इसके प्रावधान में मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक, वैधानिक रूप से सशक्त बनाया गया है। अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाय तो आज हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक यानी तमाम क्षेत्रों में स्त्रियां पुरुषों के कंधे से

कंधा मिलाकर चलती हैं। निश्चय ही यह बदलाव किसी एक महिला हेतु नहीं आया है अपितु सभी मुस्लिम वर्गों की महिलाओं हेतु आया है। अब तक मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक के नाम पर सामाजिक व आर्थिक रूप से अपने पतियों का अत्याचार कई सदियों से सहा है तथा बहुत सारी भारतीय मुस्लिम महिलाएं इस कुप्रथा का शिकार हो चुकी है तथा तीन तलाक जैसी कुप्रथा का दंश आज तक बहुत सारी भारतीय मुस्लिम महिलाएं आज भी सह रही है। परंतु तीन तलाक एक्ट पारित करवाने में उन महिलाओं का योगदान अभूतपूर्व है जिन्होंने तीन तलाक जैसी कुप्रथा के दंश की पीड़ा सही है तथा अन्य मुस्लिम महिलाओं के हितों और उन्हें इस कुप्रथा से बचाने हेतु तीन तलाक एक्ट के लिए कई बार याचिका लगाई है। तीन तलाक एक्ट पारित होना उन महिलाओं की अभूतपूर्व सफलता है जिन्होंने अपने हितों के लिए संघर्ष किया और स्वयं को सशक्त बनाने हेतु निरंतर अपने कार्यों को फलीभूत करवाया। तीन तलाक एक्ट का पारित होना महिला सशक्तिकरण अभियान में महिलाओं का एक अभूतपूर्व योगदान है जिससे वर्तमान समय में सभी के द्वारा सराहा जा रहा है

प्राचीन काल से वर्तमान काल तक महिला सशक्तिकरण अभियान को अभूतपूर्व योगदान देने वाली महिलाएं – महारानी लक्ष्मी बाई, महारानी दुर्गावती, महारानी पद्मिनी, रजिया सुल्तान, अपाला, गोपा, मैडम भीकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, रमाबाई आंबेडकर, मांड गायिका गवरी बाई, कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो, सानिया मिर्जा, सायना नेहवाल, हिमा दास, दीपिका कुमारी, मेरी कॉम, तस्लीमा खान, सुभद्रा कुमारी चौहान, मिताली राज, महादेवी वर्मा आदि।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य यह है कि महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान हो, जिससे वे कानूनी रूप से सशक्त हो और तीन तलाक जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म किया जा सके।

साहित्य क्षेत्र

महादेवी वर्मा, चित्रा मुदगल, कृष्णा सोबती, महाश्वेता देवी, प्रतिभा राय, अनु भंडारी, कमला सुरैय्या, अमृता प्रीतम, झुंपा लाहिड़ी, शशी सपाट, सुभद्रा कुमारी चौहान, मत्रैये पुष्पा, इस्मत चगताई,ममता कालिया, प्रभा खेतान, शोभा डे, अलका श्रावणी, नासिरा शर्मा,नालमणि अम्मा, अरुणा पथरिया कलिता, अरुंधति रॉय, कुअर्तुल ऐन हैदर, नयनतारा सहराल इत्यादि।

कला एवं अभिनय के क्षेत्र में

दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, दीया मिर्जा, सुष्मिता सेन, जूही चावला, अलका याग्निक, नेहा कक्कर, श्रेया घोषाल आदि।

तीन तलाक

इस्लाम में तलाक कई तरह के रूप में दिए जाते हैं जिनमें कुछ कि पहले स्त्रियों और कुछ पुरुषों की तरफ से की जाती है। इनमें से मुख्य 'तलाक और खुल' है। समय और स्थान के साथ इस्लाम मैं तलाक का रूप बदला पाया गया है। पहले तलाक के लिए शरिया इस्तेमाल किया जाता था। शरिया पारंपरिक इस्लामी नीतियों पर चलती है जो विभिन्न इस्लामी कानूनी संस्था में विभिन्न तरह की होती है। तीन तलाक पारंपरिक शरिया रू पारंपरिक इस्लामी नीति इस्लामी ग्रंथ मसलन 'कुरान और हदीथ' से बनाई गई है। इन कानूनों की कार्यप्रणाली में अलग–अलग इस्लामी कानूनी संस्थाओं द्वारा नई–नई चीजें जोड़ी जाती रही है। यह चीजें मुफ्तियों द्वारा नियंत्रित और विदेशित होती है। यह मुफ्ती ही अक्सर इस्लामी कानून मानने वालों के खिलाफ फतवा।

तीन तलाक क्या है ?

तीन तलाक मुसलमान समाज में तलाक का वह जरिया है जिसमें मुस्लिम आदमी अपनी बीवी को सिर्फ तीन बार 'तलाक' कहकर अपनी शादी किसी भी क्षण तोड़ सकता है। इस नियम से होने वाले तलाकस्थिर होते हैं। शादी खत्म हो जाती है। जिसके बाद यदि पुरुष और स्त्री पुनः शादी करना चाहे तो 'हलाला' भरने के बाद ही शादी हो सकती है।

हलाला क्या है ?

हलाला एक पद्धति है जिसमें तलाकशुदा स्त्री को पहले एक दूसरे पुरूष से शादी करके वैवाहिक संबंध बनाने होते हैं। उसके बाद कुछ समय वह अपने दूसरे पति के साथ रहती है तथा कुछ दिन बाद पुनः इस आदमी से तलाक लेकर स्त्री अपने पुराने सोहर से फिर से विवाह कर पाएगी।

तीन तलाक से होने वाली परेशानियां

1. तीन तलाक के द्वारा सिर्फ महिलाएं परेशानियों का सामना नहीं करती। अपितु उनके बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
2. तलाकशुदा महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से तलाक का दंश ताउम्र झेलना पड़ता है।
3. तीन तलाक के द्वारा तलाकशुदा महिलाएं मानसिक एवं भावनात्मक रूप से टूट जाती हैं।
4. तीन तलाक सिर्फ महिलाओं के लिए अभिशाप बनता है जबकि उनके पति पूर्ण रूप से अपना सुखी जीवन जीते हैं महिलाओं को ताउम्र अभावो में गुजारा करना पड़ता है। जबकि पुरुष दूसरा विवाह करके आराम से जीवन यापन करता है।

'तलाक तलाक तलाक' मुस्लिम महिलाओं के लिए एक ऐसा शब्द है जिनको सुनकर वे भावनात्मक एवं मानसिक रूप से शिथिल पड़ जाती है और विवाह के टूटने पर किसी भी तरह अपना जीवन समाप्त कर लेती हैं।

तीन तलाक दिए जाने के माध्यम

आए दिन हम सुनते हैं कि तीन तलाक फोन, टेक्स्ट मैसेज, फेसबुक, आजकल एक ईमेल आदि के जरिए किया जाने लगा है । ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है क्योंकि इस्लामी नीति में यह कानूनन सही है। अतः पुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वास्तविक रूप से यह बहुत अमानवीय है।

तीन तलाक एक्ट पारित होने से पूर्व की रूपरेखा

तीन तलाक की खिलाफत

केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाओं से मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। साथ ही उन्हें वह सारे मौलिक अधिकार भी नहीं मिल पाते। जो हमारा संविधान हमारे लिए लागू करता है। सर्वोच्च न्यायालय में अपना लिखित मत देने से पहले सरकार ने कहा कि ये सभी प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलने से रोकती हैं।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम समुदाय में तलाक को संख्या बहुत कम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार कुछ लोग इस तरह का माहौल बनाने में लगे हैं कि मुसलमान समाज में तलाक की संख्या अधिक है। विश्व भर में कई इस्लामी विद्वानों द्वारा इसकी खिलाफत लगातार की जा रही है और कई देशों में इस तरह के तलाक पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।

तीन तलाक से जुड़ा भारतीय न्यायपालिका का फैसला

प्रयागराज (इलाहाबाद) हाई कोर्ट द्वारा तीन तलाक को गैर संवैधानिक करार दे दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए पांच जजों की एक बेंच बनाई है जो इस केस कि सुनवाई करेगी और तीन तलाक की संवैधानिक वैधता का निरीक्षण करेगी। भारत के चीफ जस्टिस जेएस खेहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई के लिए अपनी गर्मी की छुट्टी रद्द करने को भी राजी है। इस केस की स्पेशल सुनवाई हुई। सुनवाई के तहत तीन तलाक, निकाह हलाला और इस्लामी बहु विवाह पर अपना निर्णय लिया गया। इस केस की पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र ने सवालों की एक फेहरिस्त जारी कर कोर्ट में सवाल किया था कि ऐसी प्रथाएं 'मौलिक अधिकारों के नीचे कैसे रह सकती है' कोर्ट ने एक सवाल अपनी तरफ से भी जोड़ा कि क्या इस प्रथाओं से मुस्लिम समाज में महिलाओं को लिंग भेदभाव सहना पड़ रहा है।

बिना किसी सही कारण के तीन तलाक वैध नहीं

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया कि वे लोग जो बिना किसी जायज कारण के तीन तलाक देते हैं। उन्हें मुस्लिम समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। तीन तलाक मुस्लिम समाज में शरिया के तहत दिया जाता है। कई वर्षों से तीन तलाक केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही है। तीन तलाक की वजह से कई महिलाओं की जिंदगी खराब हो जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कई बार कहा गया कि इस मामले में वे किसी की बाहरी दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं क्योंकि यह कानून शरिया का भाग है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ की बैठक के दौरान

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने सफाई देते हुए कहा कि तीन तलाक को लेकर लोगों के बीच नासमझी का माहौल है। इसे फिर से नए नियमों के साथ लाया जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने कहा कि देश में कई लोग पर्सनल लॉ बोर्ड की गतिविधियों पर सवाल उठाने लगे हैं। साथ ही महासचिव ने यह भी कहा कि जिन लोगो को शरिया कानून के विषय में कुछ भी पता नहीं, वह लोग भी इस पर सवाल करने लगे हैं। इस तरह देश के सामने इन मुद्दों को साफ सुथरे तौर पर रखने की बोर्ड की जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार शरिया कुरान से निकला हुआ कानून है अतः यह जुडिशरी के दायरे से बाहर पड़ता है। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा कि इसे गैर संवैधानिक बताना कुरान को फिर से लिखने जैसा है।

कोर्ट में तीन तलाक के विरुद्ध याचिकएँ

कई गैर सरकारी संस्थानों तथा केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रथा के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा चुका है। कई महिलाएं इसके विरुद्ध याचिका लगा चुकी हैं तथा कई मुकदमें दायर भी किए गए हैं। इन मुकदमों का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह प्रथा लैंगिक समानता के विरुद्ध है। प्रयागराज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व में यह सब बात साफ की थी कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के उन सभी अधिकारों का हनन करती है जो देश का संविधान उन्हें मुहैया कराता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि इस केस हेतु बैठके करवाई जाएंगी। तीन तलाक के विरुद्ध सभी मुकदमों पर चर्चा की जाएगी। मौखिक रूप से दिए जाने वाले तीन तलाक को अवैध घोषित किया जाएगा।

तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला

अगस्त 2017 की सुबह भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक पर अपना फैसला सुनाया। इस केस की सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच बनाई गई। इसमें चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आर एस नरीमन, जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले पर 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने समर्थन किया और 2 जजों ने समर्थन नहीं किया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लोगों में कई सालों से चली आ रही कुप्रथा पर रोक लगा दी गई और यह पूरी तरह से गैरकानूनी हो गया है।

इसके साथ ही 6 माह के अंदर इस पर कानून बनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है।

तीन तलाक बिल राज्यसभा व लोकसभा में पास हुआ

तीन तलाक बिल लोकसभा में 2017 में पास हो चुका था। लेकिन तब राज्यसभा में इसे बहुमत नहीं मिला था। इस वजह से बिल पास नहीं हो सका था। 2019 में मोदी सरकार ने वापस सत्ता में आने के बाद इसे एक बार फिर मानसून सत्र में राज्यसभा में रखा गया। इस बार इस बिल के पक्ष में 99 वोट आए जबकि विरोध में 84 वोट आये।

इस तरह 'तीन तलाक बिल' अब दोनों सदनों में पास हो गया है। जिसके बाद यह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया है।

तीन तलाक बिल को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2017 में ही पेश कर दिया था। परंतु राज्य सभा के विरोध में होने के कारण बिल पारित न हो सका। परंतु

2019 में अपनी सरकार बनने पर मानसून सत्र में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे पारित करवा दिया।

तीन तलाक बिल के प्रावधान

1. तुरंत तीन तलाक यानि तलाक–ए–विध्यत को रद्द और कानूनी बनाना।
2. तुरंत तीन तलाक को अपराध मानने का प्रावधान यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।
3. 3 साल की सजा का प्रावधान।
4. यह संज्ञये तभी होगा जब स्वयं महिला शिकायत या और कोई उसका सगा संबंधी।
5. मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। जमानत तभी दी जाएगी जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा।
6. पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है।
7. पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है इसकी रकम मजिस्ट्रेट तय करेगा।
8. पीड़ित महिला नाबालिक बच्चों को अपने पास रख सकती है इसके बारे में मजिस्ट्रेट तय करेगा।

तीन तलाक के कुछ मामले

हरियाणा के मेवात का मामला रू मेवात के खेड़ली नोट निवासी साजिदा की शादी 2017 में गंगवा निवासी सलाउद्दीन के साथ हुई थी। पति दहेज के लिए शाहिदा को परेशान करता था। इससे परेशान होकर साजिदा ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। आरोप के बाद सलाउद्दीन ने साजिदा को तीन तलाक दे दिया।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले का मामला रू मुंडा पुलिस के मुताबिक मुंडा निवासी 31 वर्षीय पीड़िता 6 माह के बच्चे की मां है। 2017 में उसे तीन तलाक दिया गया। उसका पति मुंबई का रहने वाला इम्तियाज पटेल था। इम्तियाज के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे। जिसके चलते वह पत्नी के साथ मारपीट करता था और 30 अक्टूबर 2018 को उसने व्हाट्सएप पर तीन तलाक दे दिया।

दूसरा निवासी ग्राम कुराली का मामला

पीड़िता मिश्रा निवासी है इसके पति मोहसिन ने उसे तीन तलाक दे दिया। पीड़िता का निकाह 2016 में बागपत के चानी नगर स्थित चंद्रावल गांव के मोहसिन से हुआ। निकाह के 1 साल बाद उसका उत्पीड़न शुरू हो गया। पीड़िता ने बेटी को जन्म दिया। जिसके चलते उसे तीन तलाक दे दिया गया।

समर गार्डन निवासी का मामला समर गार्डन निवासी नाजिम पुत्री मौसम अली को उसके पति सलमान अली ने 29 जुलाई 2018 को रात 10:30 बजे सऊदी अरब से ही फोन पर तीन तलाक दे दिया।

तीन तलाक कानून बनने के बाद सजा का प्रावधान

भारत के संसदीय इतिहास में '30 जुलाई 2019' की तारीख एक अहम पड़ाव के रूप में दर्ज हुई है। जो महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कानून को पारित कराने वाला दिन रहा। तीन तलाक बिल के बाद मुस्लिम महिलाओं के न्याय और सम्मान की दिशा में एक ऐसी सफलता हासिल हुई इसकी प्रतीक्षा दशकों से थी।

1. मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अध्यादेश 2019 की धारा 3 और 4 सहित आईपीसी 498, 307 323 और 504 की धारा।
2. 3 वर्ष की सजा का प्रावधान।
3. पीड़िता के संगाय द्वारा बिना किसी वारंट की गिरफ्तारी।
4. तीन तलाक को गैर जमानती अपराध के रूप में जारी रखा गया है।

तीन तलाक एक्ट पारित करवाने व महिला सशक्तिकरण अभियान को सशक्त बनाने वाली मुख्य पांच महिलाएं

2017 में अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को अवैध घोषित किया गया तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि पांच सशक्त महिलाओं ने तीन तलाक के विरुद्ध प्रबल रूप से याचिका लगाई और तब तक डटी रही। जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को अवैधानिक घोषित नहीं कर दिया गया।महिला सशक्तिकरण अभियान में इन महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है क्योंकि इनके साहस और कर्मठ कार्यशैली द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया तथा 2019 में तीन तलाक एक्ट पारित हो पाया।

सशक्त महिलाएं हैं

सायरा बानो – सर्वप्रथम तीन तलाक के मामले को उत्तराखंड कि रहने वाले 36 वर्षीय सायरा बानो ने उठाया था। अक्टूबर 2015 में 15 साल की उम्र में शादी के बाद सायरा के पति रिजवान अहमद ने एक चिट्ठी के जरिए उसे तीन तलाक दिया । सायरा ने इस तीन तलाक की वैधता को लेकर सबसे पहले स्थानीय मौलवी से मिली। उसने इस तलाक को जायज ठहराया। इसके बाद सायरा ने सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह जैसी मान्यता के खिलाफ याचिका दायर की।

सायरा बानो तीन तलाक एक्ट पारित होने पर – 'मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं। यह मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है।'

गुलशन प्रवीण रूगुलशन प्रवीण ने भी सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक को खत्म करने के लिए याचिका दाखिल की थी। गुलशन के अनुसार उसके पति ने उसे र10 के स्टांप पेपर पर तलाक दे दिया।

आफरीन रहमान – आफरीन की शादी एक वैवाहिक वेबसाइट के द्वारा 2014 में हुई थी। शादी के कुछ माह बाद उसके साथ मारपीट की जाने लगी। 2016 में उसे उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। तब उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।

इशरत जहां – 31 वर्षीय इशरत जहां पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रहने वाली हैं। उसे उसके पति ने फोन करके तीन तलाक दे दिया।

अतिया सबरी – 28 वर्षीय अतिया सबरी इस केस की आखिरी पीड़ित याचिका दायर करने वाली रही। ये यूपी के सहारनपुर की रहने वाली है। 2012 में वाजिद अली से उनकी शादी हुई थी। वाजिद अली ने 2015 में

शबरी के भाई के ऑफिस में एक कागज पर तीन तलाक लिख कर भेजा था।

शबरी ने तीन तलाक को यह कहकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि यह महिलाओं के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है।

उपर्युक्त महिलाओं के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 'भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन' नामक एक स्वतंत्र संगठन को भी इस मामले में पक्षकार बनाया था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि संगठन ने एक एक सर्वे करके यह बताया कि देश की 92% महिलाएं तीन तलाक का खात्मा चाहती हैं।

निष्कर्ष

भारत में सदियों से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। परंतु इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अन्याय का खात्मा करने हेतु ही नारी शक्ति का उदय हुआ। महिलाओं को प्रथाओं के नाम पर कई बार प्रताड़ित किया गया है।अगर समाज में नारी अपनी वास्तविक स्थिति को उजागर करे तो वह एक अबला नहीं सबला है। संवैधानिक स्थिति कितनी भी कठोर क्यों न हो परंतु जब तक सफल नहीं तब तक उसे व्यवहार में लाया जाए। महिलाओं की शक्ति उनके अंतर्मन में है। अगर विश्वास करें, संघर्ष करें तो अपने खिलाफ हो रहे जुल्मों को समाप्त कर सकती हैं।

जिस तरह सायरा बानो, प्रवीण आफरीन रहमान, इशरत जहां सभी ने अपने जुल्मों का डटकर मुकाबला किया। जो उनकी नारी शक्ति को उजागर करती है। उनके निरंतर प्रयासों के कारण ही तीन तलाक जैसी कुप्रथा को असंवैधानिक बनाया जा सका और उनकी नारी शक्ति के फल स्वरुप ही तीन तलाक एक्ट पारित हो पाया। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण अभियान तभी सफल होगा। जब महिलाएं स्वयं अपने आप को अंदर से मजबूत बनाएं। क्योंकि कानून के कठोर हो जाने से अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। अधिकारों को सामूहिक तो उनको ही मिलता है। जो साहस करते हैं और सशक्त बन कर अपने हितों के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं और उसी तरह महिला सशक्तिकरण अभियान तभी सफल होगा। जब महिलाएं अंतर्मन मजबूत बने तथा महिलाएं ही अपने विरुद्ध हो रहे अत्याचारों को समाप्त कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

चौधरी, सायरा अकिला. 'एप्रोप्रियेटेड लिबर्टी आइडेंटिटी जेंडर जस्टिस एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ रिफॉर्म इन इंडिया' कोलंबिया जनरल, 2018.

राव, अपर्णा. 'किंशिप डिसेंट सिस्टम एंड स्टेट साउथ एशिया' 2003.

दि ट्रिपल तलाक केस – सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, 27 फरवरी. 2018.

ट्रिपल तलाक द टाइम्स ऑफ इंडिया, 13 मई. 2017.

राशिद ,ओमर. 'ट्रिपल तलाक ए कॉल एंड मोस्ट डिमांडिंग फॉर्म ऑफ डाइवोर्स प्रैक्टिस बाय मुस्लिम कम्युनिटी', 'एचसी द हिंदू' 21 अप्रैल, 2017.

भारत में तीन तलाक एक्ट– राजस्थान पत्रिका. 2019.